रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस०एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 12 मई, 1990/22 वैशाख, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-2, 28 अप्रैल, 1990

सं० एल.एल.आर. (राजभाषा) बी (16)-4/90.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश प्रोविजन आफ काउ स्लाट्र ऐक्ट, 1979 (1979 का 11) के, संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपान्तर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं।

1191-राजपत्र/90-12-5-90—1,112. (1077) मूल्य : 1 रुपया।

यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इस के परिणामस्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा।

राज कुमार महाजन,
सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

हिमाचल प्रदेश गोवध प्रतिषेध अधिनियम, 1979

(1979 का 11)

(3 मार्च, 1990 को यथा विद्यमान)

हिमाचल प्रदेश में गोवध और इसकी सन्तति के वध का प्रतिषेध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:--

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गोवध प्रतिषेध अधिनियम, 1979 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,--

(क) "गौमांस" से किसी भी रूप में गौमांस अभिप्रेत है, किन्तु मोहरबंद डिब्बों में और हिमाचल प्रदेश में आयात किया गया गौमांस इसके अन्तर्गत नहीं है;

(ख) "गोमांस उत्पाद" के अन्तर्गत गोमांस से बनी वस्तुएं भी हैं ;

(ग) "गाय" के अन्तर्गत सांड, बरधा, बैल, बछड़ी या बछड़ा भी है;

(घ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ङ) "वध" से किसी भी ढंग से, चाहे जो भी हो, वध करना अभिप्रेत है और अपांग करना और ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाना जिससे साधारणतया मृत्यु हो जाए, इसके अन्तर्गत है;

(च) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और

(छ) "अलाभकर गाय" के अन्तर्गत भटकती, असुरक्षित, दुर्बल, अपंग, बीमार या बांझ गाए है ।

वध प्रतिषेध ।

3. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या प्रथा या रूढ़ि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई भी, व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में किसी भी स्थान पर किसी भी गाय का वध नहीं करेगा या न ही करवाएगा अथवा नांही वध के लिए प्रस्तुत करेगा या नांही करवाएगा ।

परन्तु दुर्घटना से या आत्मरक्षा में गाय को मारना इस अधिनियम के अधीन वध नहीं माना जाएगा ।

अपवाद ।

4. (1) धारा (3) की कोई भी बात ऐसी किसी गाय के वध पर लागू नहीं होगी--

(क) जिसकी पीड़ा ऐसी है जिसक कारण क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारी या पशु पालन विभाग के ऐसे किसी अधिकारी के प्रमाण पत्र के अनुसार जो विहित किया जाए, मारना वांछनीय है; या

(ख) जो सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किसी सांसर्गिक या संक्रामक रोग से पीड़ित हो; या

(ग) जो पशुपालन विभाग के प्रमाणित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य अनुसंधान के हित में प्रयोग के अधीन है ।

(2) जहां उप-धारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कारणों से गाय का वध आशयित है, वहां ऐसा करने वाले व्यक्ति के लिए क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारी से या पशुपालन विभाग के ऐसे अन्य अधिकारी से जो विहित किया जाए, पूर्व लिखित अनुज्ञा अभिप्राप्त करना आवश्यक है ।

गोमांस विक्रय प्रतिषेध ।

5. इसमें अपवादित के सिवाय और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति गोमांस या किसी भी रूप में गोमांस उत्पाद का, सिवाय ऐसे औषधीय प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाएं विक्रय नहीं करेगा या करवाएगा अथवा विक्रय के लिए प्रस्तुत नहीं करवाएगा ।

संस्थानों की स्थापना ।

6. सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जब सरकार द्वारा ऐसा निदेश दिया जाएगा, अलाभकर गायों का ग्रहण भरण, पोषण और देख भाल करने के लिए, संस्थानों की स्थापना की जाएगी ।

फीस का उद्ग्रहण ।

7. राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण, यदि इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, ऐसी फीस का जसी विहित की जाए, संस्थान में अलाभ कर गायों की देखभाल और भरण पोषण के लिए उद्गृहीत कर सकेगा ।

शास्ति ।

8. (1) जो कोई भी, व्यक्ति धारा 3 या 5 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उल्लंघन करन के लिए दुष्प्रेरित करगा वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकगा, या दोनों से, दण्डनीय अपराध का दोषी होगा ।

(2) जो कोई भी व्यक्ति, धारा 4 की उप-धारा (2) में कथित रीति में या समय के भीतर सूचना दाखिल करने में असफल रहता है, वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकगा या दोनों से दण्डनीय अपराध का दोषी होगा ।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन अपराध के विचारण में यह साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा कि गाय जिसका वध किया गया है, धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट वर्ग की थी ।

अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना ।

9. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 8 की उप-धारा (1) क अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

10. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा—

(क) वे शर्तें और परिस्थितियां, जिनके अन्तर्गत धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन गोवध किया जा सकेगा;

(ख) वह रीति जिसमें धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन बीमारियां अधिसूचित की जाएंगी;

(ग) वह रीति जिसमें धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन अनुज्ञा अभिप्राप्त की जाएगी;

(घ) धारा 4 की उप-धारा (1) के उप-खण्ड (क) में उल्लिखित प्रमाण-पत्र का प्ररूप और विषय वस्तु और इसे प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी;

(ङ) वह रीति और शर्तें जिनके अधीन धारा 5 के अधीन गोमांस या गोमांस उत्पाद का विक्रय किया जाएगा;

(च) धारा 6 में निर्दिष्ट स्थापनों के स्थापन, अनुरक्षण, प्रबन्ध पर्यवेक्षण और नियन्त्रण से सम्बन्धित मामले;

(छ) इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता रखने वाले किसी अधिकारी या प्राधिकारी के कर्तव्य, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया; और

(ज) वे मामले जो विहित किए जाएंगे या विहित किए जा सकेंगे ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

निरसन और व्यावृत्तियां ।

11. (1) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथाप्रवृत्त "दि पंजाब प्रोहीबिशन आफ काउ स्लाटर ऐक्ट, 1955 (1955 का 36) का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है :

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी निरसित अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई कोई बात, कार्रवाई, बनाए गए नियम या जारी की गई अधिसूचना, इस अधिनियम के अधीन या इस द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई, बनाए गये या जारी की गई समझी जाएगी, मानो कि उस दिन जिसको ऐसी बात, कार्रवाई की गई थी, नियम बनाए गए थे, या अधिसूचना जारी की गई थी, यह अधिनियम प्रवृत्त था ।

विधि विभाग

(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-2, 28 अप्रैल, 1990

सं० एल. एल. आर. (राजभाषा) बी (16)-6/90.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश इन्यूमरेशन् आफ ड्वेलिंग्ज ऐक्ट, 1976 (1976 का 41)" के, संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपान्तर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करन का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा।

राज कुमार महाजन,
सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश निवास गृह गणना अधिनियम, 1976

(1976 का 41)

(28 फरवरी, 1990 को यथा विद्यमान)

हिमाचल प्रदेश में गृहों और निवासगृहों की गणना कार्यवाही के लिए विधिक आवरण का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सतार्इसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निवास गृह गणना अधिनियम, 1976 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषा

2. इस अधिनियम में "निवास गृह" से मानवीय निवास के लिए प्रयुक्त या निर्मित अथवा पूर्णत: या मुख्यत: प्रयोग की जाने के लिए उपयुक्त इमारत या संरचना अभिप्रत है और गृह का कोई भाग जो ऐसे निवास के लिए पृथकत: अधिभोग में हैं, भी इसके अन्तर्गत हैं।

गणना कर्मचारी वृन्द की नियुक्ति।

3. (1) राज्य सरकार सारे राज्य में आवास गृहों की गणना का पर्यवेक्षण करने के लिए एक आयुक्त नियुक्त कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा और या तो नाम से या पद से, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में जैसे विनिर्दिष्ट किए जाएं गणना करन या गणना करने में सहायता करने अथवा पर्यवेक्षण करने के लिए व्यक्तियों को गणना अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त गणना अधिकारी को नियुक्त करने की शक्ति, ऐसे प्राधिकारी को, जिसे वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

लोक सेवक के रूप म गणना अधिकारियों की हैसियत ।

4. गणना आयुक्त और सभी गणना अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक होंग।

सहायता देने के लिए कतिपय व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति ।

5. जिला मजिस्ट्रेट या किसी स्थानीय क्षेत्र का गणना अधिकारी लिखित आदेश द्वारा, यथास्थिति, जिला, जिसका प्रभाव, यथास्थिति उसक जिले की सारी सीमा या स्थानीय क्षेत्र में होगा, जिला नगरपालिका, पंचायत और अन्य स्थानीय प्राधिकरण क सभी सदस्यों और ऐसे प्राधिकरण के अधिकारियों और सेवकों को क्षेत्रों क भीतर जिन क लिए ऐसे प्राधिकरण स्थापित किए जाते हैं, गणना करने के सम्बन्ध में ऐसी सहायता देने के लिए जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएगी बुला सकेगा और वह व्यक्ति जिसको ऐसा

आदेश निर्दिष्ट है इसके पालन के लिए आबद्ध होगा और ऐसे आदेश के अनुकरण में कार्य करने समय भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) के अर्थ में लोक सेवक समझा जायेगा ।

अधिभोगी द्वारा पहुंच और संख्यांक या चिन्ह लगाने की अनुज्ञा देना ।

6. निवास गृह या अन्य स्थान का अधिभोग कर रहा प्रत्येक व्यक्ति उसमें गणना अधिकारी को ऐसी पहुंच अनुज्ञात करेगा जैसी उनको गणना के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो और प्रदेश की रूढ़ि को ध्यान में रखते हुए युक्ति युक्त हो और उनको निवास गृह या स्थान पर ऐसे अक्षर, चिन्ह या संख्यांक जैसे प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, पेन्ट या लगाने को अनुज्ञा देगा ।

शास्तियां ।

7. (1) कोई व्यक्ति जिससे गणना करने के सम्बन्ध में विधिपूर्वक सहायता देने की अपेक्षा की जाती है, उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के अनुसार उसको जारी किए गए किसी आदेश का पालन करने तक में युक्त तत्परता का प्रयोग करने से इन्कार है या उपेक्षा करता है अथवा कोई व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति को ऐसा कर्तव्य करने में या ऐसे किसी आदेश का पालन करने में विघ्न या बाधा डालता है; या

(2) कोई गणना अधिकारी जो जानबूझ कर कोई मिथ्या विवरणी देता है; या

(3) किसी निवास गृह या अन्य स्थान का अधिभोगी कोई व्यक्ति कर रहा है, उसमें किसी गणना अधिकारी को ऐसी युक्तियुक्त पहुंच, जैसी उस से धारा 6 द्वारा अनुज्ञात करना अपेक्षित है, अनुज्ञात करने से इन्कार करता है ; या

(4) कोई व्यक्ति जो किन्हीं अक्षरों, चिन्हों या संख्यांकों को जो गणना के प्रयोजन के लिए पेन्ट या चिपकाए गए हों, को हटाता, मिटाता, परिवर्तित या नुकसान करता है,

जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

अभियोजन के लिए मंजूरी अपेक्षित ।

8. इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभियोजन राज्य सरकार या इस राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के सिवाय संस्थित नहीं किया जायेगा ।

अन्य विधियों का प्रवर्तन वर्जित नहीं ।

9. इस अधिनियम की कोई भी बात किसी व्यक्ति को किसी अन्य विधि के अधीन किसी कार्य या लोप के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन अपराध बनता है, अभियोजित करने से निवारिता करने वाली नहीं समझी जायेगी :

परन्तु ऐसा कोई भी अभियोजन धारा 8 में निर्दिष्ट पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जायेगा ।

अधिकारिता

10. प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या अन्य किसी विधि के अधीन, किसी बात पर जो इस अधिनियम क अधीन अपराध हो, विचारण नहीं करेगा ।

गणना अभिलेख का लोक दस्तावेज होना ।

11. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन तैयार किए गए सभी अभिलेख या रजिस्टर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) क अर्थ क अन्तर्गत लोक दस्तावेज समझे जायेंगे।

नियम बनाने की शक्ति ।

12. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार गणना अधिकारी और गणना अधिकारी के किन्हीं कर्तव्यों को करने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति का उपबन्ध करने के लिए या गणना करने में सहायता देने और ऐसे अधिकारियों और व्यक्तियों को साधारण अनुदेश जारी करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(3) इस धारा के अधीन नियम में, सरकार यह उपबन्ध कर सकेगी कि उसका उल्लंघन जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा क समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जायगा यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, और यदि उस सत्र के जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है या उपर्युक्त सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करती है, तो तत्पश्चात् वह उस परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, यदि उक्त अवसान से पूर्व विधान सभा यह विनिश्चय करती है कि वह नियम वहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जायगा । किन्तु नियम क ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसक अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

निरसन और व्यावृत्तियां।

13. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दि ईस्ट पंजाब इन्यूमरेशन ड्वेलिंग ऐक्ट, 1948 (1948 का 14) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है :

परन्तु इस प्रकार निरसित अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, जहां तक यह अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, इस अधिनियम क तत्स्थानी उपबन्धों क अधीन की गई समझी जायेगी।

विधि विभाग

(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-171002, 28 अप्रैल, 1990

सं0 एल. एल. आर. (राजभाषा)बी(16)-8/90.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश अपार्टमेण्ट् (रेगयुलेशन आफ कन्सट्रक्शन् ऐण्ड ट्रैन्सफर) ऐक्ट, 1978 (1978 का 40)" के, संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपान्तर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा ।

राजकुमार महाजन,
सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश कक्ष (निर्माण और अन्तरण विनियमन) अधिनियम, 1978

(1978 का 40)

(1-2-90 को यथा विद्यमान)

हिमाचल प्रदेश में कक्षों के निर्माण और अन्तरण को विनियमित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में एतद्द्वारा हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कक्ष (निर्माण और अन्तरण विनियमन) अधिनियम, 1978 है।

(2) इस का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है ।

(3) यह धारा तुरन्त प्रवृत्त होगी, और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध ऐसे क्षेत्रों में और ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे, जैसी राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और विभिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

अधिनियम का लागू होना ।

2. यह अधिनियम केवल ऐसे कक्ष को लागू होता है, जिसके बारे में संप्रवर्तक, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष यह घोषणा निष्पादित और प्रस्तुत करता है कि वह उस सम्पत्ति को, जहां कक्ष स्थित है या स्थित किया जाता है हिमाचल प्रदेश कक्ष स्वामित्व अधिनियम, 1978 के उपबन्धों के अधीन करने का इरादा रखता है।

परिभाषाएं।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "घोषणा" से ऐसी लिखत अभिप्रेत है जिसके द्वारा सम्पत्ति को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रखा जाता है ;

(ख) "संप्रवर्तक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने दूसरे व्यक्तियों को विक्रय करने के प्रयोजन से पहले ही कक्ष निर्मित किए हैं या निर्मिति करने का इरादा रखता है । और इसके अन्तर्गत सरकार भी है; और

(ग) "कक्ष", "इमारत" , "सक्षम प्राधिकारी" और "सम्पत्ति" पदों के वही अर्थ होंगे जो हिमाचल प्रदेश कक्ष स्वामित्व अधिनियम, 1978 में क्रमशः इनके हैं ।

संप्रवर्तकों के साधारण दायित्व ।

4. कोई संप्रवर्तक जो ऐसे कक्ष के विक्रय का इरादा रखता हो, इरादा रखने वाले अन्तरिती द्वारा मांग करने पर,—

(क) उस भूमि और इमारत में जिसमें कक्ष हैं या निर्मित किए जाने हैं, अपने हित को यदि कोई हो, प्रकृति का लिखित रूप में पूर्ण और सत्य प्रकटीकरण करेगा ;

(ख) ऐसा भूति या इमारत को प्रभावित करने वाले सभी विल्लंगमों, यदि कोई हो, का लिखित रूप में पूर्ण और सत्य प्रकटीकरण करेगा;

(ग) उस पूर्ण इमारत, जिसके प्रस्तावित कक्ष भाग हैं, को योजना को प्रकट करना और निरीक्षण करने देना और उसकी प्रतियां देना;

(घ) ऐसे फिक्सचर, फिटिंग और सुविधा की प्रकृति की लिखित रूप में प्रकट करेगा जिनकी व्यवस्था की गई है या प्रस्तावित की जानी हैं;

(ङ) इमारत के निर्माण में प्रयोग की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित सामग्री के बारे में, विशिटियों के साथ-साथ, वास्तुविदों और ठेकेदारों के साथ उस द्वारा किए गए सभी करारों का लिखित रूप में ब्यौरा प्रकट करेगा;

(च) लिखित रूप में उस तारीख को विनिर्दिष्ट करना जिस तक कक्ष का कब्जा ऐसे अन्तरिती को सौंपा जाना है;

(छ) पहले लिए गये या लिए जाने के लिए करार पाए गए सभी कक्षों की लिखित सूची के साथ-साथ उनकी सभिन्न संख्यांक, अन्तरितियों के नाम और वास्तविक या आशयित पतों सहित, उन द्वारा की गई संदत्त या उन पर प्रभारित कीमतें और कोई अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं;

(ज) भूमि, इमारत और कक्षों के सम्बन्ध में सभी निर्गम, जिसके अन्तर्गत भूमि का किराया, यदि कोई हो, नगरपालिका या अन्य स्थानीय कर, आय पर कर, पानी का प्रभार और विद्युत प्रभार, राजस्व निर्धारण, किसी बंधक पर ब्याज अथवा अन्य विल्लंगम भी है, का लिखित रूप में पूर्ण सत्य और प्रकटीकरण करेगा;

(झ) ऐसी अन्य सूचना और दस्तावेजों का जिसके अन्तर्गत ऐसे दस्तावेजों की, सही प्रतियां भी हैं, जैसी कि विहित की जाएं, लिखित रूप में पूर्ण और सत्य प्रकटीकरण करेगा ।

अग्रिम संदाय से पूर्व करार करना ।

5. किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जो संप्रवर्तक किसी कक्ष को अन्तरित करने का इरादा रखता हो, आशयित अन्तरिती से निक्षेप के लिए अग्रिम संदाय के रूप में कोई राशि स्वीकार करने से पूर्व, ऐसी अन्तरिती के साथ विक्रय के लिए लिखित करार करेगा, जिसको रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1980 का 16) की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अनिवार्यतः रजिस्ट्रीयोग्य दस्तावेज के रूप में रजिस्ट्रीकृत करवाया जाएगा:

परन्तु इस धारा के प्रयोजनों के लिए अग्रिम संदाय के अन्तर्गत, समय-समय पर यथासंशोधित हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड आबंटन, प्रबन्ध और गृह प्लाट विक्रय विनियम के अधीन यथा विहित अग्रिम (धन) नहीं होगा ।

योजना इत्यादि के प्रकटीकरण के पश्चात् कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं ।

6. धारा 4 के अधीन आशयित अन्तरिती की योजना, विनिर्देश और फिक्सचर फिटिंग और सुविधाओं की प्रकृति प्रकटीकरण के पश्चात् संप्रवर्तक, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा—

(*i*) यदि यह एक कक्ष को प्रभावित करता है, उस अन्तरिती के, जो कि उक्त कक्ष को लेने का आशय रखता है, पूर्व लिखित सम्मति के बिन ; और

(*ii*) यदि यह एक से अधिक कक्षों को प्रभावित करता हो तो सभी अन्तरितियों की पूर्व लिखित सम्मति के बिना जो उन कक्षों को लेने का इरादा रखते हों ।

7. कोई संप्रवर्तक जो जानते हुए धारा 4 के खण्डों (क), (ख), (छ) या (ज) में विनिर्दिष्ट के बारे में मिथ्या प्रकटीकरण करता है या धारा 6 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्ध पर, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जाएगा । संप्रवर्तक द्वारा अपराध।

8. (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला संप्रवर्तक कंपनी हो तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधन और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे : कम्पनियों द्वारा अपराध ।

परन्तु इस उप-धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में यथा उपबंधित दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी अपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए:—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है, और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

9. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी । नियम बनाने की शक्ति।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष; जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के, जिसमें यह इस प्रकार रखा गया है या पूर्वोक्त सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाती है या विनिश्चय करती है कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् नियम, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

10. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, या अन्य विधिक परित्राण ।

कार्यवाहियां सरकार के अथवा कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां सरकार के किसी अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध न होगी ।

अधिकारिता का वर्णन । 11. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से शिकायत करने के बिना, संज्ञान नहीं करेगा ।

पृथकरणता । 12. यदि किन्हीं परिस्थितियों में इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या किसी धारा, वाक्य, खण्ड, वाक्यांश या शब्द, या उनके लागू करने के अविधिमान्य ठहराया जाता है, तो तद्द्वारा इस अधिनियम का शेष की वैधता और ऐसे किसी उपबन्ध, धारा, वाक्य, खण्ड, वाक्यांश या शब्द का किसी अन्य परिस्थितियों में लागू किया जाना प्रभावित नहीं होगा ।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति । 13. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, ऐसे आदेश कर सकेगी या ऐसी बात कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से अवगत असंगत न हो, जो इसे कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

विधि विभाग

(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-171002, 28 अप्रैल, 1990

सं० एल. एल. आर. (राजभाषा) बी (16)-9/90.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश रिस्ट्रिक्शन आफ हैबिट्यूल आफेन्डरज् ऐक्ट, 1973 (1973 का 9) के, संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपान्तर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते ह । यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) म प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम म कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा ।

राज कुमार महाजन,
सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

हिमाचल प्रदेश आभ्यासिक अपराधी निर्बन्धन अधिनियम, 1973
(1974 का 9)

(1 मार्च, 1990 को यथा विद्यमान)

हिमाचल प्रदेश में आभ्यासिक अपराधियों के संचलन को निर्बन्धित करने और उनसे स्वयं को रिपोर्ट करने की अपेक्षा करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखत रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आभ्यासिक अपराधी निर्बन्धन अधिनियम, 1973 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(*i*) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रत है;

(*ii*) "मजिस्ट्रेट" के अन्तर्गत, तत्समय प्रवृत्त दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अधीन मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति है ;

(*iii*) "राजपत्र" से हिमाचल प्रदेश राजपत्र अभिप्रेत है ;

(*iv*) "निर्बन्धन आदेश" से इस अधिनियम की धारा 8 या अन्य उपबन्धों के अनुसरण में जारी किया गया कोई आदेश अभिप्रेत है ।

निर्बन्धन आदेश की परिधि ।

3. निर्बन्धन आदेश या तो व्यक्ति के संचलनों को आदेश में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र में निर्बन्धित करने, या किसी व्यक्ति से ऐसे समय पर, ऐसे स्थान पर, और ऐसे ढंग में, जैसा उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, स्वयं को रिपोर्ट करने या दोनों की अपेक्षा कर सकेगा ।

आभ्यासिक अपराधियों के विरुद्ध निर्बन्धन का आदेश ।

4. (1) किसी भी मामले में जिसमें मजिस्ट्रेट, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 110 के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति से यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करता है कि उसके विरुद्ध सदाचार के लिए बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न किया जाए, वहां मजिस्ट्रेट ऐसा करने के स्थान पर या उस के अतिरिक्त, ऐसे व्यक्ति से यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा कर सकेगा कि उसके विरुद्ध निर्बन्धन आदेश क्यों न किया जाए ।

(2) यदि मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करने के अतिरिक्त कि उसके विरुद्ध सदाचार के लिए बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाए, उससे यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करता है कि उसके विरुद्ध निर्बन्धन का आदेश क्यों न किया जाए, तो निर्बन्धन आदेश के बारे में कार्यवाहियों, प्रतिभूति के सम्बन्ध में कार्यवाहियों के साथ संयुक्त रूप से की जा सकेंगी और उसी अभिलेख में दर्ज की जा सकेंगी और उसी का भाग होंगी ।

निर्बन्धन आदेश देने के लिए प्रक्रिया।

5. जब कोई मजिस्ट्रेट, किसी व्यक्ति से यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करना आवश्यक समझता है, कि उसके विरुद्ध निर्बन्धन आदेश क्यों न किया जाए, तो वह, यथाशक्य, निकटतम, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धाराओं 112, 113, 114, 115 और 117 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा : परन्तु—

(क) उक्त संहिता (1898 का 5) की धारा 112 में निदेशित लिखित आदेश, प्राप्त सूचना का सार उपवर्णित करने के अतिरिक्त, तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि का कथन भी करेगा ; जिसके दौरान निर्बन्धन आदेश प्रवृत्त रहेगा, किन्तु इसमें यह कथन करने की आवश्यकता नहीं होगी कि निर्बन्धन आदेश किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में निर्बन्धित करने या उससे स्वयं को रिपोर्ट करने की अपेक्षा करने का या दोनों का आदेश होगा ; और

(ख) उक्त संहिता की धारा 117 की उप-धारा (2) के प्रयोजनों के लिए निर्बन्धन आदेश, सदाचार के लिए प्रतिभूति की अपेक्षा करने वाले आदेश के समतुल्य समझा जायेगा।

समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारण्ट जारी करना।

6. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 90 के उपबन्ध, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को ऐसे ही लागू होंगे, मानो कि वे कार्यवाहियां उक्त संहिता के अधीन थीं।

उस व्यक्ति का उन्मोचन जिस के विरुद्ध सूचना दी गई है।

7. यदि पूर्ववर्ती धाराओं के अनुसार की गई जांच पर मजिस्ट्रेट की यह राय हो कि निर्बन्धन आदेश आवश्यक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट उस भाव की अभिलेख में प्रविष्टि करे और यदि वह सदाचार के लिए बंधपत्र के निष्पादन का आदेश नहीं करता है तो वह, यदि ऐसा व्यक्ति केवल जांच के प्रयोजनों के लिए ही अभिरक्षा में है, उसे निर्मुक्त करेगा या यदि ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में नहीं है, उसे उन्मोचित करेगा।

निर्बन्धन आदेश देना और उसमें विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करना।

8. (1) यदि, यथापूर्वोक्त जांच करने पर, मजिस्ट्रेट की यह राय हो कि उस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश किया जाना चाहिए, जिसके सम्बन्ध में जांच की जा रही है, तो मजिस्ट्रेट तदनुसार आदेश करेगा।

(2) (क) इस धारा के अधीन अपने आदेश में मजिस्ट्रेट यह कथन करेगा कि उक्त व्यक्ति को अपने संचलनों में निर्बन्धित किया जायेगा या उससे स्वयं को रिपोर्ट करने, या दोनों की अपेक्षा की जायेगी।

(ख) इस धारा के अधीन आदेश, धारा 17 के अधीन सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुरूप होगा और, यथास्थिति, क्षेत्र और अधिरोपित किए जाने वाले निर्बन्धनों की प्रकृति और स्थान और समय और रिपोर्ट करने का ढंग विनिर्दिष्ट करेगा।

(3) कोई भी निर्बन्धन आदेश तीन साल से अधिक अवधि के लिए या धारा 5 के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि से दीर्घतर के लिए नहीं होगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 123 (3) और 565 के अधीन निर्बन्धन आदेश ।

9. (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 123 की उप-धारा (3) के अधीन सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश उसी या उसके कम अवधि के लिए निर्बन्धन आदेश के अतिरिक्त हो सकेगा ।

(2) किसी भी मामले में जिसमें न्यायालय या मजिस्ट्रेट दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 565 के अधीन किसी सिद्धदोष व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने को सशक्त है, वहां ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट, यदि यह या वह ऐसे व्यक्ति को दण्डादेश देने के समय उचित समझता है, उक्त धारा के अधीन आदेश देने के स्थान पर, ऐसे दण्डादेश के अवसान के विरुद्ध निर्बन्धन का आदेश कर सकेगा।

(3) यदि ऐसी दोषसिद्धि, अपील पर या अन्यथा अपास्त कर दी जाती है तो ऐसा आदेश शून्य हो जायेगा ।

निर्बन्धन क्षेत्र के भीतर जिविका के साधन और उस क्षेत्र का परिवर्तन जहां जिविका के साधन अपर्याप्त हों।

10. (1) किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में निर्बन्धित करने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि आदेश करने वाले न्यायालय या मजिस्ट्रेट का यह समाधान नहीं हो जाता है कि निर्बन्धन क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति के पास, अपनी जीविका उपाजन क पर्याप्त साधन है :

परन्तु ऐसा आदेश करने से पूर्व न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति द्वारा बुलाए गए प्रस्थापित क्षेत्र के विषय में आक्षेप को अभिलिखित करेगा और उस पर विचार करेगा ;

(2) यदि कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन निर्बन्धन आदेश दिया गया है किसी भी समय आदेश देने वाले न्यायालय या मजिस्ट्रेट का जिला मजिस्ट्रट का समाधान कर देता है कि जिस क्षेत्र में उसे निर्बन्धित किया है, वहां उसक पास अपनी जीविका उपार्जन करने के पर्याप्त साधन नहीं है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट क्षेत्र को बदल देगा ।

निर्बन्धन आदेश रद्द करने की शक्ति ।

11. जिला मजिस्ट्रेट, किसी भी समय, पर्याप्त कारणों को लेखबद्ध करके, अपने जिला में अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्बन्धन आदेश को रद्द कर सकेगा ।

निर्बन्धन क्षेत्र ो परिवर्तित करने की शक्ति ।

12. जिला मजिस्ट्रेट, किसी भी समय, उस क्षेत्र को जिसमें, इस अधिनियम के अधीन दिए गए निर्बन्धन द्वारा, किसी व्यक्ति के संचलन की निर्बन्धित किया गया हो, परिवर्तित कर सकेगा :

परन्तु ऐसे व्यक्ति को यह कारण दर्शित करने का अवसर दिया जायेगा कि ऐसे परिवर्तन क्यों न किए जाएं।

सदाचार के लिए आबद्ध से निबन्धन आदेश को जोड़े की शक्ति ।

13. जब इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व या पश्चात्, किसी न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 118 के अधीन सदाचार के लिए प्रतिभूति की अपेक्षा करते हुए कोई आदेश किया गया है, जिला मजिस्ट्रेट प्रतिभूति की अवधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय इसके अतिरिक्त निर्बन्धन आदेश कर सकेगा :

परन्तु—

(क) निर्बन्धन आदेश की अवधि, प्रतिभूति की अनुवसित अवधि से अधिक नहीं होंगी ; और

(ख) इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध निर्बन्धन आदेश तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक उसे यह कारण दर्शित करने का अवसर नहीं दिया गया हो कि ऐसा आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

अपील

14. कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन निर्बन्धन आदेश किया गया है, आदेश को अपास्त कराने के लिए सत्र न्यायालय में ऐसे आदेश क विरुद्ध अपील कर सकेगा ।

अपीलों और पुनरीक्षणों को दण्ड प्रक्रीया संहिता का लागू होना।

15. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण की अपीलों और अर्जियों को उसी तरह लागू होंगे मानों कि वे उक्त संहिता के अधीन प्रस्तुत की गई अपीलें और पुनरीक्षण अर्जियां थीं।

विहित सीमाओं के परे पाए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी।

16. (1) यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन निर्बन्धन आदेश किया गया है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित पास क बिना, उस क्षेत्र के परे किसी स्थान पर जिस स्थान में उसका संचलन निर्बन्धित किया गया है, या उस समय पर या स्थान में जो उसके पास की शर्तों द्वारा अनुज्ञात नहीं, पाया जाता है तो उसे किसी पुलिस अधिकारी, पंचायत सदस्य, गांव के मुखिया या गांव क पहरेदार द्वारा बिना वारण्ट के गिरफ्तार किया जा सकेगा ।

(2) इस धारा के अधीन गिरफ्तार करने वाला कोई व्यक्ति, जो पुलिस अधिकारी नहीं है, अनावश्यक विलम्ब क बिना एसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के हवाले करगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को निकटतम पुलिस स्टशन ले जायगा या भेजेगा ।

नियम बनाने की शक्ति।

17. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार निम्नलिखित क लिए उपबन्ध और विनियमित करने क लिए नियम बना सकेगी,—

(*i*) वह क्षेत्र जिसमें इस अधिनियम के अधीन व्यक्तियों को निर्बन्धित किया जा सकेगा और उन द्वारा पालन किए जान वाल निर्बन्धनों की प्रकृति ;

(*ii*) वह समय और स्थान तथा ढंग जिसमें व्यक्ति स्वयं को रिपोर्ट करग जब उनसे इस अधिनियम के अधीन ऐसा करन की अपेक्षा की गई हो ;

(*iii*) उन पासों को रखन की शर्तें जिनक अधीन इन व्यक्तियों को जिनका संचलन निर्बन्धित किया गया हो, उस क्षत्र को छोड़ने की अनुज्ञा दी जाए;

(*iv*) निम्नलिखित क विषय में एसे किसी पास में अन्तःस्थापित की जान वाली शर्तें,—

(क) वह स्थान जहां पास रखने वाला जा सकेगा या नहीं जा सकेगा ;

(ख) व व्यक्ति जिनक समक्ष वह समय-समय पर स्वयं को उपस्थित करन क लिए बाध्य होगा; और

(*v*) वह समय जिसके दौरान वह अनुपस्थित रह सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जायेंगे।

(4) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथा-शक्यशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, और यदि उस सत्र के जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है या उपर्युक्त सत्र के अवसान के पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करती है तो तत्पश्चात् वह उस परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, यदि उक्त अवसान के पूर्व विधान सभा यह विनिश्चय करती है कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जायेगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

शास्तियां।

18. (1) जो कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन निर्बन्धन आदेश किया गया है ऐसे आदेश या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम का अतिक्रमण करता है, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि पर निम्नलिखित से दण्डित किया जायेगा—

(क) प्रथम दोषसिद्धि पर, दोनों में से एक प्रकार के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो एक वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से;

(ख) द्वितीय दोषसिद्धि पर, दोनों में से एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी;

(ग) पश्चात्वर्ती किसी दोषसिद्धि पर, दोनों में से एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी।

(2) उस अवधि की संगणना करते समय जिसके दौरान निर्बन्धन आदेश प्रवृत्त रहेगा, उप-धारा (1) के अधीन दिए गए दण्डादेश के निष्पादन में काटी गई कारावास की किसी भी अवधि को अपवर्जित किया जाएगा।

निरसन और व्यावृत्तियां।

19. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन, हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त आभ्यासिक अपराधियों का निर्बन्धन (पंजाब) अधिनियम, 1918 (1918 का 5) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है:

परन्तु उक्त अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश, जारी की गई अधिसूचना या निदेश, की गई कोई बात या कारवाई अथवा प्रारम्भ या जारी की गई कोई कार्यवाहियां, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई, जारी की गई, किया गया, प्रारम्भ या जारी की गई समझी जाएंगी।

विधि विभाग

(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-2, 28 अप्रैल, 1990

सं० एल. एल. आर. (राजभाषा) बी (16) 5/90.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश वार अवार्ड ऐक्ट, 1972 (1972 का 9)" के, संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपान्तर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य म यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा ।

राज कुमार महाजन,
सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1972

(1972 का अधिनियम संख्यांक 9)

(1 मार्च, 1990 को यथा विद्यमान)

हिमाचल प्रदेश सरकार को, उन बालकों के माता-पिता को जिन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन 26 अक्तूबर, 1962 को घोषित आपात के दौरान सशस्त्र बल में सेवा की है या भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन 3 दिसम्बर, 1971 को घोषित आपात के दौरान सशस्त्र बल में सेवा की है या सेवा कर रहे हैं या द्वितीय महायुद्ध के दौरान हिज़ मजेस्टी के बल में भर्ती किए गए थे या कमीशंड किए गए थे, जागीरें देने के लिए सशक्त करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1972 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ में विरुद्ध न हो,

(क) "पात्र व्यक्ति" से निम्नलिखित अभिप्रेत है:—

(*i*) हिमाचल प्रदेश में मामूली तौर पर निवास कर रहा भारत का नागरिक;

(क) जो ऐसे इकलौते पुत्र या इकलौते बालक का पिता है या जहां पिता की मृत्यु हो चुकी हो उस की माता है जिसने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन 26 अक्तूबर, 1962 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपात के दौरान संघ के सशस्त्र बल में सेवा की है या जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन 3 दिसम्बर, 1971 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपात के दौरान संघ के सशस्त्र बल में सेवा कर रहा है या उसमें सेवा की हो, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक्त कारण से हिमाचल प्रदेश सरकार या वर्ष 1966 में पुनर्गठन से पूर्व यथा विद्यमान पंजाब राज्य से पहले ही भूमि पुरस्कार प्राप्त कर लिया है; या

(ख) जो ऐसे दो पुत्रों या बालकों का पिता है या जहां पिता की मृत्यु हो चुकी हो उनकी माता है, जिन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन 26 अक्तूबर, 1962 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपात के दौरान संघ के सशस्त्र बल में सेवा की हो, या जो दोनों भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन 3 दिसम्बर, 1971 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपात के दौरान संघ के सशस्त्र बल में सेवारत है या उन्होंने सेवा की हो, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने उक्त कारण से हिमाचल प्रदेश सरकार या वर्ष 1966 में पुनर्गठन से पूर्व यथा विद्यमान पंजाब राज्य से पहले ही भूमि अनुदान या अन्य पुरस्कार प्राप्त कर लिया है; या

(ग) जो तीन पुत्रों या उससे अधिक बालकों का पिता है या जहां पिता की मृत्यु हो चुकी हो उनकी माता है जिन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन 26 अक्तूबर, 1962 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपात के दौरान संघ के सशस्त्र बल में सेवा की है, या जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन 3 दिसम्बर, 1971 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपात के दौरान संघ के सशस्त्र बल में सेवारत हैं या उसमें सेवा की है, किन्तु उसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उक्त कारण से हिमाचल प्रदेश सरकार या वर्ष 1966 में पुनर्गठन से पूर्व यथा विद्यमान पंजाब राज्य से पहले ही भूमि अनुदान या अन्य पुरस्कार प्राप्त कर चुका है; या

(*ii*) हिमाचल प्रदेश राज्य में मामूली तौर पर निवास कर रहा भारत का नागरिक जो तीन पुत्रों या अधिक बालकों का पिता है या जहां पिता की मृत्यु हो चुकी है, उनकी माता है जिन्होंने, 15 अगस्त, 1947 से पूर्व किसी भी समय हिज मेजेस्टी की जल सेवा, स्थल सेवा या वायु सेवा के रूप में निर्दिष्ट बलों या हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट किसी भारतीय राज्य द्वारा रखे गए बल में भर्ती या कमीशन्ड किया गया था और जो जहां भी आवश्यक था सेवा करने के दायित्व के अधीन थे और जिन्होंने वास्तविक रूप में उपरोक्त बलों में भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेवा की है, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उक्त कारण हिमाचल प्रदेश सरकार या वर्ष, 1966 में पुनर्गठन से पूर्व यथा विद्यमान पंजाब राज्य से पहले ही भूमि अनुदान या अन्य पुरस्कार प्राप्त कर चुका है ।

(ख) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ।

(ग) "युद्ध जागीर" से इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई जागीर अभिप्रेत है ।

युद्ध जागीरों का सृजन ।

3. किसी अन्य विधि में तत्समय प्रवृत्त किसी बात के होते हुए भी, सरकार को किसी व्यक्ति को निम्न मूल्य की युद्ध जागीर प्रदान करने की शक्ति होगी:—

(क) यदि वह धारा 2 के खण्ड (क) के उप-खण्ड (*i*) के अर्थ में पात्र व्यक्ति हो तो तीन सौ रुपये प्रतिवर्ष;

(ख) यदि वह धारा 2 के खण्ड (क) के उप-खण्ड (*ii*) के अर्थ में पात्र व्यक्ति है तो दो सौ रुपये प्रतिवर्ष:

परन्तु निम्नलिखित के अर्थ के अन्तर्गत पात्र व्यक्ति के यदि—

(*i*) धारा 2 के खण्ड (क) के उप-खण्ड (*i*) (ग) तीन, बच्चों से अधिक हैं जिन्होंने उक्त उप-खण्ड में निर्दिष्ट रीति में सेवा की है या सेवा कर रहे हैं, तो तीन से अधिक ऐसे प्रत्येक बच्चे के लिए एक सौ रुपये प्रतिवर्ष की अतिरिक्त राशि प्रदान की जा सकेगी;

(*ii*) धारा (2) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (*ii*); तीन से अधिक बच्चे हों जिन्हें वर्ती या कमीशन्ड किया गया था और जिन्होंने वास्तविक रूप में उक्त उप-खण्ड में निर्दिष्ट रीति में, सेवा की है, तो तीन से अधिक ऐसे प्रत्येक बच्चे के लिए बीस रुपये प्रतिवर्ष की अतिरिक्त रकम प्रदान की जा सकेगी :

परन्तु यह और कि धारा 2 के खण्ड (क) के उप-खण्ड (*i*) के अधीन व्यक्ति की युद्ध जागीर प्रदान करन क लिए पात्रता निश्चित करने के प्रयोजनों के लिए, किसी भी

ऐसे व्यक्ति के किसी बच्चे को जिसको उस खण्ड के उप-खण्ड (*ii*) के अधीन पहले ही युद्ध जागीर प्रदान करने के लिए पात्र बनाया है, गणना में नहीं लिया जाएगा ।

युद्ध जागीरों की अवधि ।

4. युद्ध जागीर जब तक धारा 5 के अधीन अधिरोपित किसी शर्त के भंग के कारण पूर्णतया या भागत: समाप्त नहीं की जाती है तब तक प्राप्तिकर्ता के जीवन काल के लिए मान्य होगी, किन्तु सरकार को इसे समाप्त करने या कम करने की शक्ति होगी । यदि प्राप्तिकर्ता तत्पश्चात् उसी आधार पर जिस पर उसे युद्ध जागीर प्रदान की गई थी भूमि अनुदान या अन्य पुरस्कार प्राप्त करता है :

परन्तु ऐसे पात्र व्यक्ति को यदि पिता होने के नाते युद्ध जागीर प्रदान की गई हो, तो यह पिता की मृत्यु पर माता के जीवनकाल के लिए मान्य होगी ।

युद्ध जागीरों के उपभोग के लिए शर्तें जोड़ने की शक्ति ।

5. सरकार किसी या सभी युद्ध जागीरों के उपभोग के लिए ऐसी शर्तें जोड़ सकेगी जैसी वह ठीक समझे और ऐसी शर्तें प्राप्तिकर्ता को इसे प्रदान करने के समय संसूचित की जाएंगी ।

युद्ध जागीर की कुर्की से छूट ।

6. किसी लेनदान के अनुरोध पर प्राप्तिकर्ता के विरुद्ध किसी मांग के लिए किसी न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा या किसी न्यायालय की डिग्री या आदेश की तुष्टि में कोई युद्ध जागीर अभिग्रहण, कुर्की या परिवद्धकरण के लिए दायी नहीं होगी ।

व्यावृत्तियां।

7. यदि इस अधिनियम की कोई भी बात पेन्शन अधिनियम, 1871 (1871 का 23) या सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 (1895 का 15) के उपबन्धों को, जहां तक वे युद्ध जागारों को लागू हों, प्रभावित करने वाली नहीं समझे जाएंगे ।

कतिपय प्रश्नों का अन्तिम निर्णय के लिए सरकार को निर्दिष्ट किया जाना।

8. यदि इस अधिनियम के अधीन कोई प्रश्न उठता है कि :--

(क) क्या कोई व्यक्ति पात्र है या नहीं, या

(ख) क्या प्राप्ति कर्ता न धारा 5 के अधीन अधिरोपित किसी शर्त का भंग किया है या नहीं,

तो ऐसा प्रश्न सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर निर्णय अन्तिम और निश्चायक होगा और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

निरसन और व्यावृत्तियां।

9. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दि ईस्ट पंजाब वार एवार्डस् ऐक्ट, 1948 (1948 का 22) का और हिमाचल प्रदेश वार एवार्डस आर्डिनेंस, 1972 (1972 का 1) का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है :

परन्तु ऐसा निरसन —

(क) इस प्रकार निरसित किसी विधि के पूर्व प्रवर्तन या तद्धीन की गई या भोगी गई किसी बात को; या

(ख) इस प्रकार निरसित किसी विधि के अधीन अर्जित प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकारी, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को; या

(ग) पूर्वोक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या उत्तर दायित्व से सम्बन्धित किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपाय को;

प्रभावित नहीं करेगा और ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपाय ऐसे संस्थित, जारी या प्रवृत्त किया जा सकेगा । मानो कि यह अधिनियम अधिनियम न किया हो :

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन रहते हुए इस प्रकार निरसित अधिनियम या अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, जहां तक वह इस अधिनियम से संगत हो, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

विधि विभाग

(विधायी एवं राज भाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-2, 28 अप्रल, 1990

सं0 एल. एल. आर. (राजभाषा) बी (16)-7/90.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश मर्जड् स्टेट (ऐप्लिकेशन आफ लाज) ऐक्ट, 1954 (1954 का 14) के, संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपान्तर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं । यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा ।

राज कुमार महाजन,
सचिव (विधि)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

हिमाचल प्रदेश विलीन राज्य (विधियों का लागू होना) अधिनियम, 1954

(अधिनियम संख्या 1954 का 14)

21 मई, 1955.

(26 फरवरी, 1990 को यथा विद्यमान).

कतिपय विधियों को विलीन राज्य बिलासपुर में विस्तारित करने के लिए अधिनियम।

एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है।

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विलीन राज्य (विधियों का लागू होना) अधिनियम, 1954 है।

(2) इसका विस्तार विलीन राज्य बिलासपुर में है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक विषय या सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "प्राधिकरण" के अन्तर्गत, समिति, बोर्ड या अधिकरण है;

(ख) "विलीन राज्य" से विलीन राज्य बिलासपुर अभिप्रेत है;

(ग) × × × × ×

(घ) "राज्य विधि" के अन्तर्गत, नियम, विनियम, उप-विधि, आदेश या बिलासपुर में विधि का बल रखने वाला परिपत्र है।

अधिनियमितियों का विस्तार।

3. (1) हिमाचल प्रदेश में 30 जून, 1954 को प्रवृत्त या लागू अधिनियमितियां, जो उन मामलों से सम्बन्धित हैं जिनमें हिमाचल प्रदेश के लिए विधियां बनाने के लिए विधान सभा सशक्त है और जिनका विलीन राज्यों में पहले विस्तार नहीं किया गया है, एतद्द्वारा विलीन राज्य में, निम्नलिखित के अधीन रहते हुए विस्तारित की जाती है:—

(*i*) कोई संशोधन, जिसके प्रायः या उपर्युक्त तारीख को उनके लागू होने में वे अधीन थे; और

(*ii*) इस अधिनियम के पश्चात्वर्ती उपबन्ध।

1. स्पष्टीकरण.—इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए 30 जून, 1954 को या इससे पहले हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित विधेयक, चाहे वह भी उस तारीख तक प्रवृत्त न हुआ हो, हिमाचल प्रदेश राज्य को 30 जून, 1954 को सदैव अधिनियमित के रूप में लागू समझा जाएगा।

2. उप-धारा (1) में निर्दिष्ट ऐसी किसी अधिनियमिति में, किसी बात के होते हुए भी, ऐसी अधिनियमिति ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगी जैसी कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे और उसके भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए या विलीन राज्य के भिन्न-भिन्न भागों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

तत्सम्बन्धी विधि का निरसन।

4. यदि इस अधिनियम के लागू होने से ठीक पूर्व, विलीन राज्य में धारा 3 में निर्दिष्ट अधिनियमिति से तत्स्थानी कोई राज्य विधि प्रवृत्त है तो ऐसी तत्स्थानी विधि ऐसी तारीख से और उस विस्तार तक जिस तक धारा 3 के उपबन्ध के अधीन और अनुसार अधिनियमिति लागू होती है विलीन राज्य में निरसित हो जाएगी।

व्यावृत्तियां।

5. (1) धारा 4 के अधीन किसी तत्स्थानी राज्य विधि का निरसन, निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा--

(क) ऐसी किसी विधि का पूर्व प्रवर्तन; या

(ख) ऐसी किसी विधि के विरुद्ध उपगत अपराध की बाबत कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड ; या

(ग) ऐसी किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड की बाबत कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार;

और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार, संस्थित, या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसा कोई शस्ति, समपहरण या दण्ड ऐसे अधिरोपित किया जा सकेगा, मानों कि यह अधिनियम पारित नहीं हुआ था।

(2) उप-धारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, की गई कोई बात या ऐसी तत्स्थानी विधि के अधीन कार्रवाई, जिसके अन्तर्गत की गई नियुक्ति या प्रत्यायोजन, जारी की गई अधिसूचना; आदेश, अनुदेश या निर्देश, बनाए गए नियम, विनियम, प्ररूप, उप विधि या स्कीम, प्रमाण-पत्र, या पेटेंट या दी गई अनुज्ञप्ति, या किया गया रजिस्ट्रीकरण—

(क) धारा 3 में निर्दिष्ट अधिनियमिति जिसका विस्तार अब विलीन राज्य में किया गया है और प्रवृत्त है, के तत्स्थानी उपबन्धों क अधीन की गई समझी जाएगी; और

(ख) तब तक प्रवर्तन में रहगी, जब तक कि सरकार या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियमिति के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अन्यथा निदेशित या अधिक्रान्त नहीं कर दी जाती है।

अनुकूलीकरण के लिए न्यायालयों और अन्य प्राधिकरणों की शक्तियां।

6. धारा 3 में निर्दिष्ट किसी अधिनियमिति के विलीन राज्य में लागू करने को कर बनाने के प्रयोजन के लिए, कोई न्यायालय या प्राधिकरण किसी ऐसी अधिनियमिति का ऐसे परिवर्तन के साथ अर्थ लगा सकेगा जो सार को प्रभावित न करता हो, जो कि न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष मामले में अनुकूलीकरण के लिए आवश्यक और उचित हो।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।